

अध्याय-7

श्रम कल्याण

7.1 सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से वैधानिक ढांचे के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। तथापि, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इस प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है जो कुल कार्यबल का लगभग 93 प्रतिशत है। श्रम कल्याण निधि की अवधारणा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई थी। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा बीड़ी उद्योग में नियोजित कामगारों, कतिपय गैर-कोयला खानों और सिने कामगारों के लिए आवास, चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पाँच कल्याण निधियाँ गठित करने हेतु अलग से विधान अधिनियमित किए गए हैं। इन निधियों का संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

7.2 कल्याण निधियों की योजना नियोजक और कर्मचारी के विशिष्ट संबंधों के ढाँचे से अलग है क्योंकि गैर-अंशदायी आधार पर सरकार द्वारा स्रोत जुटाये जाते हैं व कल्याण सेवाएं प्रदान किया जाना अलग-अलग कामगारों के अंशदान की सम्बद्धता से प्रभावी नहीं होता है। कल्याण, निधियों की सैक्टोरियल पहुंच अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त है, जिनकी क्षेत्रीय पहुंच है और जिनके लिये इनमें से अधिकांश कामगार भी पात्र हैं।

श्रम कल्याण निधियाँ

7.3 श्रम मंत्रालय बीड़ी और सिने कामगारों एवं गैर कोयला खान कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लिए पाँच कल्याण निधियाँ संचालित कर रहा है। इन कामगारों के कल्याण के लिए निधियाँ संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन स्थापित की गई हैं:-

- अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946;
- चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972;

- लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976;
- बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976; और
- सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

7.4 उपर्युक्त अधिनियमों में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निधि का उपयोग उन उपायों तथा सुविधाओं के संबंध में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जो ऐसे कामगारों के कल्याण का प्रावधान करने के लिए आवश्यक हों। उपर्युक्त अधिनियमों में निर्धारित उपर्युक्त लक्ष्यों को प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आवास, मनोरंजन और जल-आपूर्ति के क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गयी हैं और वे संचालित की जा रही हैं।

0

7.5 वर्ष 2004-2005 के दौरान बीड़ी कामगारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को अंतरंग तथा बहिरंग दोनों चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक सभी राज्य सरकारें/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/बीड़ी कामगार आवासीय सहकारी सोसाइटियाँ/विख्यात गैर-सरकारी संगठन/केन्द्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों को अपनी मौजूदा संरचना के निर्माण या विस्तार करने के लिए वे एक ही बार में 2.0 करोड़ रुपये या अस्पताल भवन के निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या चिकित्सा उपस्कर की लागत सहित, जो भी कम होगी, के लिए पात्र होंगे। इसी तरह चिकित्सा/लेपरोस्कोपिक उपस्कर और अनुषंगी से सुसज्जित एम्बुलेंस/मोबाइल वेन हेतु की खरीद के लिये एक ही बार में 4.0 लाख रुपए की सीमा तक या कुल लागत का 75 प्रतिशत या वास्तविक लागत, जो भी कम होगी, का सहायता अनुदान उपलब्ध है। वे बीड़ी कामगारों तथा उनके आश्रितों को आपूर्ति की गई दवाईयों की राशि के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगे। यह राशि 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष या वास्तविक राशि का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

7.6 वर्तमान एकीकृत भवन स्कीम, 2004 को सरलीकृत तर्कपूर्ण और विकेन्द्रीकृत बनाया गया है तथा बीड़ी कामगारों आदि के लिए इसके स्थान पर एक नई स्कीम नामतः संशोधित एकीकृत आवास स्कीम, 2005 को प्रायोगिक आधार पर प्रतिस्थापित किया गया है। जिसे 25.5.2005 से कार्यान्वित किया गया है। एक बीड़ी कामगार को अन्य एकीकृत आवास स्कीम, 2004 के अंतर्गत 40,000/- रुपये देने के बजाए अपने आवेदन पत्र के साथ कामगार के अंशदान के रूप में 5000/-रुपये का अंशदान देना होगा; और उसकी एक वर्ष की सेवा होने के साथ-साथ अपने नाम या अपने पति/पत्नी के नाम एक जमीन का खण्ड होने पर तथा परिवार की आय 6,500/-रुपये होने पर घर का निर्माण किरने के लिए प्रति कामगार प्रत्येक मकान के लिए 40,000/- रुपये की एक समान अधिक सहायता पाने का हकदार होगा। आर्थिक सहायता संबंधित जिलाधीश/उपायुक्त राज्य सरकार के माध्यम से हकदार हितलाभाधिकारियों को 20,000/- रुपये प्रत्येक की दो बराबर किश्तों में दिया जाएगा। प्रथम किश्त प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद दी जाएगी और

दूसरी किश्त छत तक निर्माण होने पर दी जाएगी। स्कीम का लाभ- लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क चूना तत्थर अयस्क और डोलोमाइट अयस्क खानों तथा अभ्रक अयस्क खानों में कार्यरत कामगारों को भी उपलब्ध होंगे।

1

7.7 इनके अतिरिक्त खान कामगारों के लिए टाइप- I और टाइप-II आवास स्कीम के अंतर्गत खान प्रबंधकों के प्रति निवास इकाई के लिए क्रमशः 40,000/-रुपये और 50,000/-रुपये की दर से आर्थिक सहायता या प्रत्येक मकान के वास्तविक निर्माण की लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, मंजूर किया जाएगा।

7.8 श्रम कल्याण संगठन जो इन निधियों का संचालन करता है उसके प्रमुख महानिदेशक(श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव हैं। उन्हें इन निधियों के संचालन में सहायता के प्रयोजन से कल्याण आयुक्त(मुख्यालय) हैं जो नौ क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त का पर्यावेक्षण करते हैं। प्रत्येक कल्याण आयुक्त के क्षेत्राधिकार को बाक्स में दर्शाया गया है।

कल्याण आयुक्त और उनके क्षेत्राधिकार		
क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	क्षेत्राधिकार में शामिल राज्य
1.	कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश,हिमाचल प्रदेश,पंजाब,जम्मू एवं कश्मीर और उत्तरांचल
2.	कल्याण आयुक्त, बंगलौर	कर्नाटक और केरल
3.	कल्याण आयुक्त, अजमेर	गुजरात,राजस्थान और हरियाणा
4.	कल्याण आयुक्त, भुवनेश्वर	उड़ीसा
5.	कल्याण आयुक्त, कोलकाता	प.बंगाल,असम,त्रिपुरा एवं मेघालय
6.	कल्याण आयुक्त, हैदराबाद	तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश
7.	कल्याण आयुक्त, जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
8.	कल्याण आयुक्त, करमा	बिहार और झारखंड
9.	कल्याण आयुक्त, नागपुर	महाराष्ट्र एवं गोवा

सलाहकार समितियां और उनकी बैठकें

7.9 उपर्युक्त निधियों के संचालन से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए संबंधित कल्याण निधि अधिनियमों के अधीन त्रिपक्षीय केन्द्रीय सलाहकार समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों की अध्यक्षता केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा नामित अध्यक्ष करते हैं। बीड़ी कामगार कल्याण निधि और सिनेमा कामगार कल्याण निधि में 21 सदस्य होते हैं, केन्द्रीय सरकार, नियोजकों के संगठनों और कर्मचारी

संगठनों से, प्रत्येक से 7 सदस्य लिए जाते हैं और लौह अयस्क मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि तथा चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति और बीड़ी कामगार कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति में 18 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष व सचिव को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार, नियोजकों के संगठनों व कर्मचारी संघों से, प्रत्येक से 6 सदस्य लिए जाते हैं।

7.10 सिनेमा कामगार कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन 07.01.2004 तथा 28.01.2005 को किया गया था बीड़ी कामगार कल्याण निधि की और केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन 28.1.2005 को किया गया था।

उपकर लगाना

7.11 श्रम कल्याण निधियों का वित्त पोषण, विनिर्मित बीड़ी, फीचर फिल्मों, अभ्रक निर्यात, चूना पत्थर और डोलोमाइट उपभोग तथा लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क उपभोग और निर्यात पर संबंधित उपकर/निधि अधिनियमों के अंतर्गत नीचे दर्शाई गई दरों के अनुसार लगाए गए उपकर की आय से किया जाता है:-

- बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन विनिर्मित बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क के रूप में 1 रुपये से 5 रुपये प्रति हजार विनिर्मित बीड़ियों पर उपकर लेने की व्यवस्था है। अब 1.4.2005 से 1000 बीड़ी पर शुल्क 4 रुपये है।
- सिने कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 के अधीन अध्यक्ष, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को प्रत्येक फीचर फिल्म प्रस्तुत किए जाने पर कम-से-कम एक हजार रुपये उत्पाद शुल्क निर्धारित किया गया है। इस उत्पाद शुल्क की अधिकतम सीमा बीस हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकती। 20.04.2001 से प्रत्येक हिन्दी और अंगरेजी

फीचर फिल्म के लिए यह 20,000 रुपये और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 10,000 रुपये प्रति फिल्म है।

- लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क, खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क के लिए क्रमशः 50 पैसे से एक रुपया तथा एक रुपये से 6 रुपये और 3 रुपये से 6 रुपये के बीच उपकर की व्यवस्था है। 11.09.2001 से लौह अयस्क पर उपकर की दर 1 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। मैंगनीज अयस्क पर यह 4 रुपये प्रति मीट्रिक टन और क्रोम अयस्क पर 6 रुपये प्रति मीट्रिक टन है।
- चूना पत्थर और खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 में ऐसी दर पर चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर लगाने और एकत्र करने की व्यवस्था है जो चूना पत्थर और डोलोमाइट के प्रति मीट्रिक टन पर एक रुपये के उत्पाद शुल्क से अधिक न हो। 27.12.2000 से चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर की दर एक रुपया है।
- अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 में 6.25 प्रतिशत से अनधिक नहीं, समतुल्य आधार पर अभ्रक निर्यात की सभी किस्म के अभ्रक पर सीमा शुल्क के रूप में उपकर की लेवी और वसूली की व्यवस्था है। 01.11.1990 से निर्यात पर यह 4.5 प्रतिशत के समतुल्य है।

कल्याण निधि की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं।

	2004-2005	2005-2006*
कल्याण निधियों का उपयोग	108.59 करोड़ रुपये	51.11 करोड़ रुपये
उपकर एकत्रीकरण	97.80 करोड़ रुपये	51.27 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य देखरेख प्रसुविधा पर व्यय	44.51 करोड़ रुपये	21.02 करोड़ रुपये
आवास के लिए स्वीकृत सहायता	13.16 लाख रुपये	68.75 लाख रुपये
शैक्षिक सहायता पर व्यय	44.38 करोड़ रुपये	21.45 करोड़ रुपये
मनोरंजन सुविधाओं पर व्यय	0.69 करोड़ रुपये	0.26 करोड़ रुपये

* वर्ष 2005-2006 के आंकड़े सितम्बर, 2005 तक के हैं।